

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25042026-272088
SG-DL-E-25042026-272088असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 13
No. 104]	DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948	[N. C. T. D. No. 13

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

फा. सं. 10/39/पर्या0/2021/476.—जबकि, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 115 के उप-नियम (7) में यह अनिवार्य है कि "मोटर वाहन के पहली बार पंजीकृत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, ऐसे प्रत्येक वाहन में एक वैध "प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र" होना चाहिए तथा प्रमाण-पत्र हमेशा वाहन में रखा होना चाहिए और नियम 116 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए"

और जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिनांक 21.11.2025 को जारी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) की संशोधित अनुसूची में वाहनों के लिए पीयूसी मानदंडों की सख्त निगरानी और प्रवर्तन का निर्देश दिया है, जिसमें दृश्य उत्सर्जन के प्रति कोई सहनशीलता नहीं है तथा स्पष्ट रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त करके तथा/या अधिकतम जुर्माना लगाकर रोकने का निर्देश दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने आगे नागरिकों को अपने वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्रों को अद्यतन रखने का भी परामर्श दिया है।

अब इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 10 सितंबर 1992 की अधिसूचना संख्या यू-11030/जे/91-यूटीएल के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त

शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा वाहन प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

“मोटर वाहनों को ईंधन (पेट्रोल/डीजल/सीएनजी/एलपीजी) केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।”

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रिलायंस पेट्रोलियम), अन्य सभी पेट्रोल/डीजल/सीएनजी पंप/स्टेशन/खुदरा विक्रेता सहित खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली यातायात पुलिस के साथ मिलकर इस निर्देश का अक्षरशः सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।”

यह अधिसूचना एतद् द्वारा जन-साधारण के सूचनार्थ शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विजय कुमार बिधूड़ी, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd April, 2026

F. No.10(39)/ENV/2021/476.— Whereas, sub-rule (7) of Rule 115 of the Central Motor Vehicle Rules 1989 mandates that “After the expiry of a period of one year from the date on which the motor vehicle was first registered, every such vehicle shall carry a Valid “Pollution under Control Certificate” and the certificate shall always be carried in the vehicle and produced on demand by the officers referred to in the sub-rule (1) of Rule 116”.

And whereas, the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (CAQM) in the revised schedule of Graded Response Action Plan (GRAP) dated 21.11.2025 has also directed for - *Strict vigilance and enforcement of PUC norms for vehicles with no tolerance for visible emissions and to stop visibly polluting vehicles by impounding and / or levying maximum penalty.* CAQM has further recommended for citizens to “Keep PUC certificates of your vehicles up to date”.

Now therefore, in view of the above, in exercise of power conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with the notification No. U-11030/J/91- UTL dated the 10th September 1992, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby issues following direction for vehicular pollution control:

“Fuel (Petrol/Diesel/CNG/LPG) shall be dispensed to motor vehicles only upon production of a valid Pollution Under Control (PUC) Certificate.

The Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Indraprastha Gas Limited, Reliance Industries Limited (Reliance Petroleum), all other petrol/diesel/CNG pumps/ stations/ retail outlets, along with the Department of Food Supplies and Consumer Affairs, GNCTD, Transport Department, GNCTD, Municipal Corporation of Delhi and Delhi Traffic Police shall ensure strict compliance with the direction in letter and spirit.”

The notification is hereby published in official gazette for information of the general public.

By Order and in The Name of Lt. Governor
National Capital Territory of Delhi,

VIJAY KUMAR BIDHURI, Secy.